

विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2025 को कॉन्फ्रेंस हॉल, द्वितीय तल, सीपज़ सेवा केंद्र, सीपज़-सेज़, मुंबई-400096 में मेसर्स रोमा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड-सेज़, हीरानंदानी एस्टेट, ऑफ गोडबंदर रोड, ग्राम कावेसर, ठाणे के सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए आयोजित अनुमोदन समिति की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त।

Minutes of 19th Meeting of the Approval Committee for Sect or Specific Special Economic Zone of M/s . Roma Builders Pvt. Ltd-SEZ, at Hiranandani Estate, Off. Godbunder Road, Village Kavesar, Thane, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on 27.06.2025, at Conference Hall, 2nd Floor, SEEPZ Service Centre, SEEPZ-SEZ, Mumbai-400096.

1. सेज़ का नाम : मेसर्स रोमा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
M/s. Roma Builders Pvt. Ltd
- Name of the SEZ :
2. सेक्टर : आईटी/आईटीईएस
- Sector : IT/ITES
3. मीटिंग नंबर : 19वीं
- Meeting no : 19th
4. दिनांक : 27.06.2025
- Date : 27.06.2025

उपस्थित सदस्य/Members Present:

क्र. Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्री. मयूर आर. मानकर Shri. Mayur R. Mankar	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ
2	श्री. सुनील अघवाने Shri. Sunil Aghawane	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner, Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai
3	श्री बैकियावेलु मुथारासु Shri. Backiyavelu Mutharasu	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित Nominee of the Additional DGFT, Mumbai
4	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उद्योग उपनिदेशक Deputy Director of Industries	डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिती Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra
5	श्रीमती मीरा रामकृष्णन Smt. Meera Ramkrishnan	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क Asstt. Commissioner of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar
6	श्रीमती स्मिता नाम्बियार Smt. Smitha Nambiar	उप विकास आयुक्त Deputy Development Commissioner विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज़ SEEPZ -SEZ रोमा-सेज़ Roma -SEZ
7	श्री जय मनोज शाह Shri. Jay Manoj Shah	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज़ SEEPZ -SEZ

बैठक में सहायता और सुचारु संचालन के लिए श्री विवेक झरवाल, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री जय दीप, डीसी (न्यू एसईजेड), श्री सुदर्शन शिंदे, एडीसी (न्यू एसईजेड) और श्री राहुल शिवणगोल, एडीसी (न्यू एसईजेड) उपस्थित थे।

Shri. Vivek Zarwal, ADC (New SEZ), Shri. Jai Deep, ADC (New SEZ), Shri. Soodershan Shindde, ADC (New SEZ) and Shri Rahul Shivannagol, ADC (New SEZ) also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

अध्यक्षीय मद संख्या 01 : दिनांक 29.05.2025 को आयोजित 18वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

Agenda Item No. 01: Confirmation of Minutes of the 18th meeting held on 29.05.2025.

दिनांक 29.05.2025 को आयोजित 18वीं बैठक के कार्यवृत्त की वसम्मति से पुष्टि की गई।

The Minutes of the 18th Meeting held on 29.05.2025 were confirmed with consensus.

अध्यक्षीय मद संख्या 02 :

Agenda Item No 02 :

मा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (डेवलपर) की जनवरी 2025 से मार्च 2025 की अवधि के लिए त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट और अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक निष्पादन की गारानी।

Monitoring of Quarterly Performance Reports for the period January 2025 to March 2025 and Half-yearly performance for the period October 2024 to March 2025 of Roma Builders Pvt. Ltd., (Developer).

जनवरी 2025 से मार्च 2025 की अवधि के लिए त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट और अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट डेवलपर द्वारा प्रस्तुत की गई और विनिर्दिष्ट अधिकारी, रोमा-एसईजेड द्वारा दिनांक 21.05.2025 के पत्र द्वारा व्यापित की गई।

The Quarterly Performance Reports for the period January 2025 to March 2025 and Half-yearly performance for the period October 2024 to March 2025 was submitted by the Developer and verified by the Specified Officer, Roma-SEZ vide letter dated 21.05.2025.

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 12(6) और नियम 22(4) के अनुसार रोमा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (डेवलपर) की जनवरी 2025 से मार्च 2025 की अवधि के लिए त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट और अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट को **नोट** किया।

Decision :- After deliberations, the Committee **noted** the Quarterly Performance Reports for the period January 2025 to March 2025 and Half-yearly performance for the period October 2024 to March 2025 of Roma Builders Pvt. Ltd. (Developer) in terms of Rule 12(6) and Rule 22(4) of SEZ Rules, 2006.

अध्यक्षीय मद संख्या 03 :

Agenda Item No 03 :

कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन के संबंध में मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (यूनिट-I) का प्रस्ताव।

Proposal of M/s. TATA Consultancy Services (Unit-I) w.r.t. change in the Directors of company.

मूल एलओए संख्या SEEPZ-SEZ/NEW-SEZ/ROMA-CS/01/2019-20/04378, दिनांक: 02.03.2020

(Original LOA No. SEEPZ-SEZ/NEW-SEZ/ROMA-TCS/01/2019-20/04378, Dated: 02.03.2020

कंपनी के निदेशकों का विवरण निम्नानुसार है:

The details of Directors of the Company are as under:

Sr. No.	Before change in the Directors		After change in the Directors	
	Name of the Director	Designation	Name of the Director	Designation
1	Mr. Chandrasekaran	Chairman	Mr. Chandrasekaran	Chairman
2	Mr. K. Krithivasan	Chief Executive Officer & Managing Director	Mr. K. Krithivasan	Chief Executive Officer & Managing Director
3	Mr. Aarthi Subramanian	Executive Director - President and Chief Operating Officer	Mr. Aarthi Subramanian	Executive Director - President and Chief Operating Officer
4	Dr. Pradeep Kumar Khosla	Director	Dr. Pradeep Kumar Khosla	Director
5	Ms. Hanne Birgitte Breinbjerg Sorensen	Director	Ms. Hanne Birgitte Breinbjerg Sorensen	Director
6.	Mr. Keki Minoo Mistry	Director	Mr. Keki Minoo Mistry	Director
7.	Mr. Al-Noor Ramji	Director	Mr. Al-Noor Ramji	Director
8.			Mr. Sanjay V. Bhandarkar	Director

परिणय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (यूनिट-I) के प्रस्ताव को अनुदेश संख्या 109, दिनांक 8.10.2021 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन के लिए मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने इकाई को अनुदेश संख्या 09, दिनांक 18.10.2021 के अनुसार निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया।

Decision:- After deliberation, the Committee approved the proposal of **M/s. TATA Consultancy Services (Unit-I)** for change in the Board of Directors of the company in terms of Instruction No. 109, dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction No.109, dated 18.10.2021.

1. परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ संचालन गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.

2. परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी यदि सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।

2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.

3. सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों से प्रयोज्यता और अनुपालन, जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी रिवर्तन, हस्तांतरण, कर देयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

3. Applicability of and compliance with all Revenue / Company Affairs/SEBI etc, Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.

4. इक्विटी में परिवर्तन/विलय, विभाजन, सम्मेलन या वामित्व में हस्तांतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण तुरंत सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और प्राधिकार प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional authority.

5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी या विलय, विभाजन, फीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि के हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ/हानि की करदेयता का आकलन करने का अधिकार होगा, जो भी लागू हो और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कटौती के लिए पात्रता होगी।

6. आवेदक को राज्य सरकार के प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं।

7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और इकाई के क्षेत्राधिकार प्रसारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नये नाम या ऐसी व्यवस्था से हचाना जाएगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.

6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.

7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.

8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

(ज्ञानेश्वर भा. पाटील, आईएस)
अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़